

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2008 के नियम 19 एव राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (I/II/III) / सातवें वेतनमान के अंतर्गत पे मैट्रिक्स लेवल संख्या निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (उ.मा.वि./रा.मा.वि) सर्व श्री/श्रीमती	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यग्रहण तिथि व पद	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय तृतीय ACP देय तिथि	एसीपी स्वीकृति पर देय वेतन-बैण्ड	ग्रेड पे / मैट्रिक्स लेवल
1	भागचन्द जैन प्रधानाचार्य, कुचीला (अजमेर)	01-06-63	07-10-89 Sr.T.	6-10-19 30 Y	7-10-19 III	---	L--17
2	रामेश्वर लाल बाल्दी प्रधानाचार्य सागानेर (भीलवाडा)	15-06-66	19-06-97 H.M.	18-06-17 20 Y	19-06-17 II	---	L--17
3	श्रीमती मिथलेश लेखरा प्रधानाचार्य, धड़ोली टोडारायसिंह (टोक)	03-03-60	27-2-97 H.M.	26-2-17 20 Y	27-2-17 II	---	L--17
4	अरुणा गारु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहाड़ा (भीलवाडा)	15-7-69	19-7-97 H.M	18-10-97 20 Y	19-7-17 II	---	L--17

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे ।

(सौरभ स्वामी)

कार्यरत
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कमांक: शिविरा-मा/संस्था/ए-2-7/ACP/वो-2/2020-21

दिनांक 20.5.2020

1. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित अधिकारी
5. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय साईट पर अपलोड हेतु ।
6. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर